10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

श्रीमति जानकी पुत्री भागीरथ यादव,

निबासी ग्राम तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़, ...आवेदिका

द्वारा आज दि. 6/01/17 को प्रस्तुत

वनाम

म0प्र0 शासन .... अनावेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदिका द्वारा एक निगरानी कमांक 616/ /2016 इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की थी। जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19/02/2016 को स्वीकार की गई थी।

2– यह कि उपरोक्त निगरानी में पारित आदेश में टंकण की त्रुटि के कारण खसरा कमांक 58 का रकवा 0.376 के स्थान पर खसरा कमांक 0.276 टाईप/लेख हो गया है , इसी प्रकार खसरा कमांक 57/1/2 रकवा 0.491 हैक्टेयर आदेश में छूट गया है , जबकि उसके खसरा की भी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी। जो आवेदिका के ही नाम पर है। जिसे सुधार करना न्यायहित में है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि, आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार कर उपरोक्त त्रुटि सुधार करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

ग्वालियर दिनांक ~~06/12/2016~~ 06/01/2017 **आवेदिका/~~अधिवक्ता~~**

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

~~निगरानी~~ रिस्टोर प्रकरण क्रमांक 9007/I/2017 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **जानकी यादव वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-17	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदिका की ओर से अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 32 भू0 रा0 संहिता के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, इस न्यायालय द्वारा निगरानी कमांक 616/दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 19/02/2016 में टंकण की त्रुटि के कारण खसरा कमांक 58 का रकवा 0.376 के स्थान पर 0. 276 टाईप हो गया है तथा खसरा कमांक 57/1/2 रकवा 0.491 हैक्टेयर छूट गया है , जबकि उसका भी खसरा निगरानी के साथ प्रस्तुत किया गया था। 2– आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदिका की ओर से प्रस्तुत धारा 32 भू0 रा0 संहिता का यह आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है, निगरानी प्रकरण कमांक 616/2/2016 में पारित आदेश दिनांक 19/02/2016 में पैरा कमांक एक में दर्शित खसरा कमांक 58 में रकवा 0.276 के स्थान पर 0.376 पड़ा जाबे। आदेश में खसरा कमांक 58 के आगे खसरा कमांक 57/1/2 रकवा 0.491 हैक्टेयर भी पड़ा जाबे। तदनुसार आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता हैं। यह आदेश निगरानी कमांक 616/दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 19/02/2016 का अंग होगा। प्रकरण का परिणम दर्ज कर दा0 द0 हो। सदस्य	